



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम / एमएमजेआरके / परिपत्र / 2010 / ४७०८

दिनांक 10/8/11

विषय – मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में विभाग के सम संख्यक परिपत्र क्रमांक 465 से 2543, दिनांक 26.04.2010 के द्वारा बीपीएल सूची से बाहर अंत्योदय अन्न योजना (राजस्थान सरकार) में चयनित सहरिया परिवारों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अब मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत समस्त अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार जिन्हें खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किये गये हैं, उन्हें भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी।

(डॉ. समित शर्मा)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/नागरिक आपूर्ति/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/जनजाति विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान बारां जिले को छोड़कर।
8. जिला कलेक्टर बारां को उनके अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 3975, दिनांक 08.07.2011 के सन्दर्भ में।
9. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. उप सचिव (एम) मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक मु.म./उस (एम)/सहरिया परिवार/बारां/2011/5593, दिनांक 13.07.2011 के सन्दर्भ में।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय, राजस्थान।
13. निदेशक, आई.ई.सी./प0क0/जन स्वास्थ्य/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी/एनआरएचएम/एमएमजेआरके।
15. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
16. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।

17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की एक प्रति उपलब्ध करावें।
18. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय।
20. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान।
21. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करावें।
22. सलाहकार एमएमजेआरके (आईटी) को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(क. आर. इशारवाल)
परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना